



-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **विजय उर्फ रोकी पुत्र जयपाल नि० दिल्ली रोड हाथी गेट मौ० काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 10567/23 मु०अ०सं०-236/23 धारा 379/411 भादवि मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम) को मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय उर्फ रोकी पुत्र जयपाल नि० दिल्ली रोड हाथी गेट मौ० काजियान कस्बा व थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 0412/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 0236/2023 धारा 379/411 IPC थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 0437/2023 धारा 380/411/454 IPC थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।
4. मु०अ०सं० 0004/2024 धारा 379/411 IPC थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 0089/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. म०उ०नि० दीक्षा कुमारी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
3. का०1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 163 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त फैजान पुत्र कबीर निवासी ग्राम सिरचन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, हाल निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर को ग्राम गदेवड़ा के निकट बिजली घर के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 163 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 16/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम फैजान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं यह चरस हरियाणा से बेचने के लिये लाया था। मैं इसे सस्ते दामों में खरीदकर ट्रक ड्राइवरो को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ, जिसे मैं अपनी मौज-मस्ती व शौक पूरे करने में खर्च कर देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फैजान पुत्र कबीर निवासी ग्राम सिरचन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, हाल निवासी ग्राम चाँदपुर , थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 187/11 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 व 11(1)/3 पशु क्रूरता निवारण अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 2.मु0अ0सं0 243/11 धारा 420 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 3.मु0अ0सं0 191/14 धारा 147/148/149/224/225/307/332/353/427/504 भादवि चालानी थाना गागलहेड़ी
- 4.मु0अ0सं0 91/15 धारा 174ए भादवि चालानी थाना गागलहेड़ी
- 5.मु0अ0सं0 275/15 धारा 3/5 गौवध अधि0 व 11/3 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 6.मु0अ0सं0 390/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11/3 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 7.मु0अ0सं0 61/18 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 8.मु0अ0सं0 439/18 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी
- 9.मु0अ0सं0 440/18 धारा 25 आयुध अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी

बरामदगी का विवरण

➤ 163 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय पाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला बदर अभियुक्त के घर पर मुनादी व नोटिस चस्पा कर 06 माह के लिए जिला बदर का कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा **अभियुक्त धर्मवीर पुत्र गुल्लू नि0 ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** के विरुद्ध वाद सं0- 4649/2024 में गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के घर पर मौजूद न मिलने तथा ताला लगा होने के कारण अभियुक्त के मकान पर 06 माह के लिए जिलाबदर किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस चस्पा किया गया व ग्राम रवासौली में अभियुक्त धर्मवीर पुत्र गुल्लू को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में गाजे बाजे के साथ मुनादी करायी गयी।

जिला बदर अभियुक्त का नाम पता:-

धर्मवीर पुत्र गुल्लू नि0 ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 259/2022 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 155/2022 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 297/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतेन्द्र राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष चौहान थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चोरी/लूट/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2025 को गश्त व चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **अब्दुला पुत्र मंसूर निवासी- साबरी का बाग गली न0-05 थाना-मण्डी जनपद-सहारनपुर** को मण्डी समिति के खण्डर के सामने से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह चाकू लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अब्दुला पुत्र मंसूर निवासी- साबरी का बाग गली न0-05 थाना-मण्डी जनपद-सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 736 दीपक नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर वारंटी अभियुक्त बाबू पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0 2627/2024 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु कुरता अधि0 व मु0अ0स0 136/2016 चालानी थाना गागलहेडी में ग्राम कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बाबू पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राशिद खान सुरी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. का0 12 टूकेश थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. हो0गा0 1389 विकास थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 30 गट्टू (लगभग 16 किलो 740 ग्राम प्रतिबंधित चाईनीज मांझा) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबंधित चाईनीज मांझे की अवैध बिक्री व खरीद को रोकने एवं बरामदगी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **देवेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल निवासी वाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** जनता रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 30 गट्टू लगभग 16 किलो 740 ग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

देवेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल निवासी वाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0का0 122 संजय सिंह थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. म0क0 828 पुजा निश्चल थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
5. म0का0 954 रेखा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर



दिनांक: 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 130 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त हसीन पुत्र रहमान नि० पीर वाली गली न० 16 थाना मण्डी सहारनपुर को कमला कालोनी पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 41/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं यह चरस हरियाणा से अज्ञात व्यक्तियों से सस्ते दामों में खरीद कर लाया था जिसे चरस पीने वालो को महंगे दामों पर बेच देता हूँ। इससे जो मुनाफा होता है,उसे मैं अपन मोज-मस्ती व शौक पूरे करने में खर्च कर देता हूँ। मैं इस चरस को बेचने के लिये ही यहा पर आया था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

हसीन पुत्र रहमान नि० पीर वाली गली न० 16 थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 130 ग्राम चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 0034/21 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि० थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 316/24 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 0031/17 धारा 25 आयुध अधि० थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री उ०नि० ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. हे०का० 477 विनोद पँवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2024 को वादी श्री मौहम्मद आसिफ पुत्र मौहम्मद साबिर निवासी म0नं0 7/780 एच/11 इसरार कालोनी पुराना कलसिया रोड निकट थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1.शाह आलम पुत्र स्व0 मौ0 इकराम 2. शाहनवाज, 3.शाहजमा, 4.शाहनजर पुत्रगण स्व0 मौ0 इकराम, 5. शबनम पत्नी मौ0 अकरम, 6.शगुफता पत्नी सिराज, 7.शाईस्ता पत्नी मौ0 फुरकान निवासीगण मौहल्ला खान आलमपुरा जनक नगर इन्द्रा बस्ती निकट, नूर मस्जिद के पास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर कुटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन व सम्पत्ति को अपने भाई-बहनों के नाम लिखाना व प्लॉट को फर्जी तरीके से विक्रय करने व फर्जी जन्म प्रमाण पत्र व गवाह बनाने व फर्जी वारीसान नामा बनाने तथा 02 फर्जी आई0डी0 सहारनपुर व देहरादून के नाम की बनवाने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि, पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शाहआलम पुत्र मौ0 इकराम निवासी खानआलमपुरा जनकनगर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को अभियुक्त को खान आलमपुर मन्दिर वाली गली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहआलम पुत्र मौ0 इकराम निवासी खानआलमपुरा जनकनगर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2563 नरेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा जमीनी विवाद में फायरिंग करने वाले 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2025 को वादी अविनाश पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी वाल्मीकि बस्ती देवबन्द जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र अज्ञात 2. सचिन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. युवराज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. तंजीम पुत्र अज्ञात 5. दिलनवाज पुत्र फुरकान 6. प्रियांशु पण्डित पुत्र अज्ञात निवासीगण कस्बा देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 7. अभिषेक त्यागी पुत्र अज्ञात निवासी घलौली 8. सौरभ पुत्र विजय निवासी अज्ञात 9. रजत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जोला नागल 10. राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी अज्ञात 11. नौशाद पुत्र अक्वल निवासी देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 18-20 व्यक्ति अज्ञात तीन गाडियों में सवार होकर तथा ट्रैक्टर ट्राली में निर्माणधीन सामग्री ईंट, सिमेन्ट, रेत आदि लेकर बच्चो के कबिस्तान में आये तथा खाली पड़ी भूमि पर निर्माण करने लगे। वहाँ मौजूद वाल्मीकी समाज के लोगो ने विरोध किया तो उपरोक्त बन्टी आदि ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी-गंदी गालिया देते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायरिंग में विनीत पुत्र सुनील व दीपक उर्फ मंगत पुत्र राजेश को गोली लगी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिसके सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0- 19/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/ /352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(1) द, ध व 3(2)5 क एससी / एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

व दिनांक 18.01.2025 को उ0नि0 विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा उक्त संदर्भ में ही अभि0गण 1. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2. सचिन पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. युवराज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. तंजीम पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5. दिलनवाज पुत्र फुरकान निवासी देवबन्द जिला सहारनपुर 6. प्रियांशु पण्डित पुत्र अज्ञात निवासी देवबन्द , थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 7. अभिषेक त्यागी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम घलौली 8. सौरभ पुत्र विजय निवासी अज्ञात 9. रजत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जोला थाना नागल 10. राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी अज्ञात 11. नौशाद पुत्र अक्वल निवासी देवबन्द , थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 12. दीपक उर्फ मंगत पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 13. विनीत पुत्र सुनील वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 14. कुलदीप पुत्र प्रकाश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 15. सन्नी पुत्र मोहन वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 16. अनिकेत पुत्र बबू वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 17. अवीनाश पुत्र नन्दकिशोर वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 18. आशीष पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 19. दीपक चंचल पुत्र नरेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 20. आकाश पुत्र राजू निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 21. सावन पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 22. राहुल पुत्र देवेन्द्र निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 50-55 अज्ञात

व्यक्तियों द्वारा दोनो पक्षो के मध्य जमीन पर कब्जे को लेकर दोनो पक्ष एक राय होकर एक दूसरे पर जाने से मारने की नीयत से घातक हथियारों व लाठी डण्डों से मारपीट करना तथा एक दूसरे पर फायरिंग करना जिसमें कुछ लोगों का मौके पर घायल हो जाना तथा मौके पर खड़ी गाडियो को लाठी व डण्डो से तोडकर छतिग्रस्त कर देना तथा मुख्य मार्ग पर फायरिंग कर भय व आतंक का महौल पैदा करना तथा रास्ते पर आने-जाने वाले लोगों में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0- 20/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/324(3) बीएनएस व 7 क्रिमिनल एमण्डमेण्ट एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1.बन्टी उर्फ अनित पंवार पुत्र जगवीर सिंह नि0ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द सहारनपुर 2. तंजीम पुत्र अब्दुल अजीज नि0 लहसवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को अभियुक्तगण को मकबरा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने (बन्टी) व इकराम नि0 शेरनगर मुजफ्फरनगर ने एक जमीन जो कस्बा देवबन्द में पेट्रोल पम्प के पास थी का इकरारनामा इजहार के वारिस निखत व शाहवाज से 25-30 दिन पहले कराया था बैनामा नहीं कराया था फिर हमने इस जमीन के सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र डीएम साहब के यहाँ दिया था तथा बाद में हमें पता चला कि इस जमीन पर कोई परेशानी नहीं है तब हमने दि0 18.01.2025 को उस जमीन पर बाउन्ड्री करने की सोची तथा मैं व इकराम प्रधान दो लडको के साथ मिस्त्री को लेकर जमीन पर गये थे मैं अपनी गाडी स्कार्पियो से गया था और दो ट्रैक्टरों से ईंटें भी मंगायी थी जिसमें से एक ट्रैक्टर की ईंट उतर गयी थी व एक ट्रैक्टर की ईंट उतर रही थीं तभी वहाँ पर वाल्मीकि समाज के काफी लोग आ गये और कहने लगे ये जमीन उनके शमशान की है इसी बात पर झगडा हो गया। मौके पर हमारी तरफ से प्रियांशु भी आया था तंजीम भी मौके पर था इस झगडे में युवराज ने गोली चला दी थी जिससे वाल्मीकि समाज के दो व्यक्ति घायल हो गये। मारपीट में हमारी तरफ से इकराम को चोटें आयी थी जिसका इलाज मुजफ्फरनगर में कहीं चल रहा है। मैं सोरव, रजत, राहुल व नौशाद आदि को नहीं जानता हूँ। हम लोग मौके पर ही अपनी गाडी छोड़कर फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बन्टी उर्फ अनित पंवार पुत्र जगवीर सिंह नि0ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द सहारनपुर
2. तंजीम पुत्र अब्दुल अजीज नि0 लहसवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 655 कमलेश यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. एचसी 902 गोविन्द कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. का0 16 पवन सिरौही थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा पशु चोरी व गौकशी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/25 धारा 305 बीएनएस व 3/5/8सीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त **फरमान पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी से 1000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरे साथी दिन में आसपास के गांवों में जाकर बाहरी स्थानों पर बंधे पशुओं को खरीदने के बहाने रैकी कर लेते हैं और रात को मौका पाकर इन पशुओं को चोरी करके आसपास के जंगलों में ले जाकर काट देते हैं। दिनांक 14/15.01.2025 की रात्रि में मैं और मेरे 03 साथी ने चकबीबीपुर गाँव के एक घर में बधी 01 गाय चोरी करके ग्राम रूहालका गांव के जंगल में ईख के खेत में काटकर उसके मांस को चोरी छिपे बेच दिया जिससे हमें अच्छे पैसे मिले।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

फरमान पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 1000/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टियों का नाम:

1. उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 1759 सावन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार, कब्जे से कुल 130 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अल्लारक्खा पुत्र मुस्तफा निवासी सोहनचिडा थाना नागल जनपद सहारनपुर को पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 42/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, यह चरस मैं हरियाणा से अज्ञात व्यक्तियों से सस्ते दामों में खरीद कर लाया था जिसे चरस पीने वालों को महंगे दामों पर बेच देता हूँ। इससे जो मुनाफा होता है, उसे मैं अपन मोज-मस्ती व शौक पूरे करने में खर्च कर देता हूँ। मैं इस चरस को बेचने के लिये ही यहा पर आया था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अल्लारक्खा पुत्र मुस्तफा निवासी सोहनचिडा थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 130 ग्राम चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 175/21 धारा 307,504 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0 का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 737 अरुण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 500 विकल, सोम, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान (01 इन्वर्टर, 01 लोहे का गाटर, 03 मोटर खराद करने वाली व 1050/- रुपये नकद बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.01.2025 को थाना कुतुबशेर पर वादी श्री जहांगीर पुत्र अमीर अहमद निवासी इन्द्रा चौक मन्सूर कालोनी थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 20/25 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात तथा दिनांक 18.10.2024 को वादी श्री नौशाद पुत्र महमूद निवासी ईधरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 312/24 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात तथा दिनांक 23.12.2024 को वादिया श्रीमति प्राची पत्नी हरीश कुमार निवासी भोगपुर मिठौनी सिरकोई मुरादाबाद की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 378/24 धारा 305 ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चोर/नकबजन व शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गस्त/चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.शाहजेब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इनाम कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2. अनस पुत्र शहजाद निवासी इन्द्राचौक मुखिया वाली गली थाना मंडी जनपद सहारनपुर को चकआदमपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किया गया सामान व रूपयें बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 20/25, 312/24 व 378/24 उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि हम दिन में रेकी करके चोरी की योजना बनाकर रात्रि में मौका देखकर चोरी कर लेते हैं तथा चोरी किये गये सामान को बेचकर जो रूपयें मिलते थे उसे आपस में बाट लेते हैं। आज हमसे पुलिस के द्वारा जो सामान व रूपये बरामद किये गये हैं वह हमारे द्वारा चोरी किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शाहजेब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इनाम कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. अनस पुत्र शहजाद निवासी इन्द्राचौक मुखिया वाली गली थाना मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- एक लोहे का गाटर, 03 मोटर खराद करने वाली (मु0अ0सं0 20/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 01 इन्वर्टर व 600 रूपये (मु0अ0सं0 312/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 450 रूपये (मु0अ0सं0 378/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित)

अभियुक्त शाहजेब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 470/22 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 20/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 312/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 378/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

अभियुक्त अनस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 100/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना मंडी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 20/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 312/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 378/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री सुरेशवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 854 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 03 सोलर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2025 को वादी श्री जोगेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बेलीराम निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के स्कूल भारतीय शिशु निकेतन से तीन सोलर प्लेट चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजन आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वान्छित अभियुक्तगण **1-जयकिरण उर्फ सन्नी पुत्र सुभाष चंद निवासी चौरी मण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** **2-नितिन सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी शुगर मिल लेबर कालोनी थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर** को ग्राम चौरी मण्डी से ग्राम घोडो पीपली को जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की गयी 03 सोलर प्लेट बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- जयकिरण उर्फ सन्नी पुत्र सुभाष चंद निवासी चौरी मण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 2 - नितिन सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी शुगर मिल लेबर कालोनी थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

03 सोलर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टियों का नाम:

1. उ0नि0 श्री नरेश कुमार मय थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।